झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक – प0नि0वि0/06–योजना–41/2025 –4921(S) दिनांक –24/12/2025

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
झारखण्ड,
हिनू, राँची।

विषयः– **पथ प्रमण्डल, सरायकेला–खरसावाँ अन्तर्गत ''खरसावाँ–कुचाई–दलभंगा पथ (MDR–146) (कुल लम्बाई–27.775 कि0मी0) के राईडिंग क्वालिटी में सुधार (IRQP) कार्य'' हेतु रू0 21,08,62,700/–(इक्कीस करोड़ आठ लाख बासठ हजार सात सौ रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश :–

आदेशः– उपर्युक्त कार्य के लिए कुल रू0 21,08,62,700/–(इक्कीस करोड़ आठ लाख बासठ हजार सात सौ रू0) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व का पथ, MDR–146 है, जो खरसाँवा, कुचाई, सुरसी, दलभंगा, रगुडीह, जोजोहातु, सियाडीह से अड़की–खूँटी को जोड़ती है। इस पथ में राईडिंग क्वालिटी सुधार कार्य होने से अड़की, खूँटी तथा राँची जाने में सुगमता होगी। साथ ही इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन तथा कृषि उपज को बाजार पहुँचने के साथ–साथ आकस्मिक सेवाओं में भी सुविधा होगी। वर्त्तमान में पथ की स्थिति जर्जर है। जनहित में पथ का आई0आर0क्यू0पी0 कार्य कराना आवश्यक है। अतएव कार्यहित में उक्त पथ के राईडिंग क्वालिटी में सुधार (IRQP) कार्य कराया जाएगा।

3. इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–03–राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–01–वृहद सड़कें, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य'' के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सरायकेला–खरसावाँ होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, सरायकेला–खरसावाँ से की जायेगी।

5. इस कार्य को निम्न वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगाः–

वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
2025–26	रू0 2108.627 लाख	100%

6. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगें।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्ध राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देगें।

8. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

9. प्रस्ताव पर योजना मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

10. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

30/12/25

24/12/2025
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 06–योजना–41 / 2025 –4921(S) दिनांक –24/12/2025

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता (याता0) पथ निर्माण विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, चाईबासा / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इस स्वीकृति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राशि का प्रावधान सम्मिलित नहीं है ।
3. इस स्वीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।
4. मुख्य अभियंता (या.) पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेगें।

24/12/2025
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 06–योजना–41 / 2025 – 4921(S) दिनांक –24/12/2025

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ / सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची / आयुक्त, कोलहान प्रमण्डल, चाईबासा / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची / उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ / संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव (प्र0) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अण्वेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, प्रशाखा–12, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/2025
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 06–योजना–41 / 2025 –4921(S) दिनांक –24/12/2025

प्रतिलिपि :– प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची / कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/2025
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 06–योजना–41 / 2025 –4921(S) दिनांक –24/12/2025

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई–मेल (E-mail) से भेजने एवं ई–प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची को वेबसाईट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।

24/12/2025
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।